



स्वतंत्र प्रभात दैनिक अखबार तथा ऑनलाइन चैनल से सीधा जुड़ने के लिए संपर्क करें..... 9511151254

@swatantraprabhatmedia	@swatantramedia	RNI.No. UPHIN/2019/79073 (epaper.swatantraprabhat.com)	@SwatantraPrabhatonline	news@swatantraprabhat.com
लखनऊ से प्रकाशित एवं अयोध्या, प्रयागराज, मिर्जापुर, गोरखपुर, बरेली, बुंदेलखंड, उत्तराखंड, देहरादून		लखनऊ, रविवार, 04 अप्रैल 2026	गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, झारखण्ड, बिहार, मध्य प्रदेश, असम, तेलंगाना आदि जनपदों में प्रसारित	
अव्यवस्था की आग में झुलसता बचपन- टिकरा सामद के विद्यालय में गैस के बजाय चूल्हे पर बन रहा...03		वर्ष 07, अंक 181, पृष्ठ 12, मूल्य: 03 रुपये www.swatantraprabhat.com	असम में डबल इंजन सरकार को खींचने के लिए एथी-महारथियों के उमड़ी गीड़...12	

फूलों की बारिश और 'भारत माता की जय' की गूंज... पुडुचेरी में पीएम मोदी के रोड शो में उमड़ा जनसैलाब

● प्रधानमंत्री मोदी ने पुडुचेरी विधानसभा चुनाव के लिए रोड शो किया. इसमें जनसैलाब उमड़ा. रोड शो 'भारत माता की जय' और 'जय श्री राम' के नारों से गूंज उठा. इस दौरान विदेशी नागरिकों का भी उत्साह देखने को मिला. यह रोड शो लगभग एक घंटे चला, जिसमें प्रधानमंत्री का मव्य स्वागत हुआ



पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव को लेकर पीएम मोदी ने शुक्रवार को एक रोड शो किया, जिसमें जनसैलाब उमड़ा. सड़क के दोनों ओर खड़े लोगों ने 'भारत माता की जय' और 'जयश्री राम' के नारे लगाकर प्रधानमंत्री का स्वागत किया. इस रोड शो में कुछ विदेशी नागरिक भी दिखे. उनका भी उत्साह देखते बन रहा था. उन्होंने पीएम मोदी के इस रोड शो को अपने मोबाइल में कैद किया। प्रधानमंत्री मोदी ने रोड शो करते हुए विधानसभा चुनाव में एआईएनआरसी-भाजपा गठबंधन को वोट देने की अपील की. उन्होंने एआईएनआरसी संस्थापक और मुख्यमंत्री एन. रंगासामी और बीजेपी नेता व गृह मंत्री ए. नमिसवियाम के साथ अजंता सिमलल पॉइंट से करीब 2 किलोमीटर दूर कामराजर स्टैच्यू/राजा थिएटर सिमलल तक रोड शो किया. ये रोड शो करीब एक घंटे तक चला, जिसमें जगह-जगह लोगों ने फूल बरसाकर पीएम मोदी का स्वागत किया।

सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं. बता दें कि पीएम मोदी चुनाव राज्यों में लगातार रैलियां कर रहे हैं।

तिरुवल्लु में पीएम मोदी की जनसभा
चेन्नई में बैठक करने के बाद पीएम मोदी 4 अप्रैल को केरल पहुंचेंगे, जहां तिरुवल्लु में जनसभा को संबोधित करेंगे. फिर तिरुवनंतपुरम में रोड शो करेंगे. प्रधानमंत्री मोदी दोपहर करीब 3 बजे कोडुग्रम जिले के चांगनासेरी में एनएसएस कॉलेज के मैदान पहुंचेंगे. फिर सड़क मार्ग से पथानामथिथ्टु के तिरुवल्लु रवाना होंगे।

किल्लीपलम जंक्शन से करमाना तक रोड शो
यहां पीएम मोदी पब्लिक स्टैंडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे. इसमें पार्टी नेता और आसपास के निर्वाचन क्षेत्रों से एनडीए के उम्मीदवार भी पहुंचेंगे. इसके बाद प्रधानमंत्री तिरुवनंतपुरम पहुंचेंगे. किल्लीपलम जंक्शन से करमाना तक करीब 1.5 किलोमीटर लंबा रोड शो करेंगे. इसमें बड़ी संख्या में पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों के शामिल होने की उम्मीद है. इस रोड शो और गठबंधन के नेताओं से मुलाकात के बाद शाम को दिल्ली लौटेंगे. बता दें कि केरल में विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होगा।

संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में होर्मुज पर सैन्य कार्रवाई वाले प्रस्ताव पर रूस-चीन-फ्रांस का वीटो

ब्यूरो प्रयागराज। मिडिल ईस्ट में जारी जंग के बीच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में होर्मुज स्ट्रेट को खोलने के लिए सैन्य कार्रवाई की अनुमति देने वाले अहम प्रस्ताव पर बड़ा गतिरोध पैदा हो गया है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, रूस, चीन और फ्रांस ने इस प्रस्ताव को समर्थन देने से इनकार कर दिया, जिसके चलते बहरीन और अन्य खाड़ी देशों द्वारा समर्थित यह पहल फिलहाल ठंडे बस्ते में चली गई है।

बहरीन द्वारा तैयार इस प्रस्ताव में सदस्य देशों और बहुराष्ट्रीय नौसैनिक बलों को 'सभी आवश्यक साधनों' के उपयोग की अनुमति देने की मांग की गई थी, ताकि समुद्री मार्गों पर अंतरराष्ट्रीय आवाजाही बाधित न हो। हालांकि, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य रूस, चीन और फ्रांस ने स्पष्ट कर दिया कि वे सैन्य बल के इस्तेमाल को इजाजत देने वाली भाषा के पक्ष में नहीं हैं। इस प्रस्ताव पर शुक्रवार को वोटिंग की संभावना है, लेकिन कूटनीतिक स्तर पर सहमति बनना अभी मुश्किल दिख रहा है।

फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुएल मैक्रों ने सैन्य कार्रवाई को 'अवास्तविक' बताते हुए चेतावनी दी कि इससे तट पर तैनात ईरानी रिवाल्यूशनरी गार्ड्स और उनकी बैलिस्टिक मिसाइलों का खतरा और बढ़ सकता है। कई हफ्तों की बंद कमेरे में



चली बातचीत के बावजूद प्रस्ताव में सिर्फ चार संशोधन ही हो सके हैं, जबकि 'सभी आवश्यक साधनों' वाली धारा पर अब भी सहमति नहीं बन पाई है। दरअसल, 28 फरवरी 2026 को अमेरिका और इजरायल के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ईरान ने इस रणनीतिक समुद्री मार्ग को बंद कर दिया था। दुनिया के लगभग 20% तेल और गैस की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। इसके बंद होने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गहरा असर पड़ा है—तेल, शिपिंग और बीमा की लागत बढ़ गई है, जबकि कतर जैसे देशों को अपना उत्पादन रोकना पड़ा, जिससे उन्हें सालाना 20 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। इस नाकेबंदी के बीच ईरान ने खाड़ी देशों में अमेरिकी ठिकानों और बुनियादी ढांचों पर हजारां जवाबी हमले किए। जिनमें कम से कम 18 नागरिकों की मौत हुई है। बहरीन के विदेश मंत्री अब्दुल्लतीफ

बिन राशिद अल जयानी ने ईरान पर 'आक्रामक' और 'पूर्व नियोजित' हमलों का आरोप लगाया है, जिसमें नागरिक ढांचों को निशाना बनाया गया। वहीं, ईरान ने संकेत दिया है कि वह जंग के बीच होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी जारी रखेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इस युद्ध ने ईरान और उसके पड़ोसी देशों के बीच सुधरते रिश्तों को झटका दिया है, जबकि अब मध्यस्थता की भूमिका ओमान और कतर के बजाय पाकिस्तान, तुर्की और मिक्स निभा रहे हैं। सऊदी अरब स्थित थिक ट्रिगल गल्फ रिसर्च सेंटर के अध्यक्ष अब्दुलअजीज सागर ने कहा कि किसी भी संभावित युद्धविराम समझौते में ईरान को खाड़ी देशों पर हमले की क्षमता और होर्मुज के समुद्री यातायात पर उसके नियंत्रण को शामिल करना जरूरी होगा। उन्होंने साफ कहा कि 'जो हुआ है, उसे भुलाया नहीं जा सकता।

साक्षिप्त खबरें

पोस्ट ऑफिस पैसा निकालने आई महिला अंदर हुई बंद

पलिया कलां लखीमपुर खीरी। सिंगहिया निवासी लज्जावती दवा के लिए पैसा लेने पलिया पोस्ट ऑफिस आई थी पोस्ट ऑफिस गुड फ्राइडे के चलते बंद था पिछले गेट से सेल टैक्स वाले चैनल मार्ग से ऊपर चढ़ गयीं और पोस्ट ऑफिस की तरफ चली गईं, सेल टैक्स ऑफिस का चैनल खुला था, चौकीदार को नहीं पता चला और चैनल बंद करके वह चला गया काफी देर बंद रहने के बाद महिला ने परिजनों को फोन कर आपबीती बताते हुए अपने बंद होने की सूचना परिजनों को दी, समाचार लिखे जाने तक महिला चैनल के अंदर ही बंद थी परिजन सेल टैक्स कर्मियों को फोन लगाते रहे। समाचार लिखे जाने तक कोई कर्मी नहीं पहुंचा। महिला भी चैनल के अंदर ही बंद है। राष्ट्रीय प्रेस के लिए विश्वकांत त्रिपाठी।

फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र के सहारे विरासत दर्ज कराने का मामला उजागर

लखीमपुर-खीरी। मितौली खबर। तहसील क्षेत्र में फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर जमीन की विरासत दर्ज कराने का गंभीर मामला सामने आया है। आरोप है कि ग्राम कोल्हौरा जिला सीतापुर निवासी एक महिला ने सरकारी तंत्र की मिलीभगत से दो अलग-अलग व्यक्तियों के नाम पर फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र तैयार करवा लिए। जानकारी के अनुसार, पहले ग्राम प्रधान कोल्हौरा राकेश कुमार द्वारा भगवानदीन पुत्र बन्दी का मृत्यु प्रमाण पत्र जारी गया, जिस दस्तावेज के आधार पर परिवार रजिस्टर में हेरफेर करवा कर ग्राम पंचायत अधिकारी से वर्ष 2024 में प्रमाण पत्र बनवाया गया। इसके बाद दुर्भी सन्धि कर भगवानदीन पुत्र कन्धाई के नाम का फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र ग्राम प्रधान राकेश कुमार द्वारा प्रमाणित कर वर्ष 2025 में मृत्यु प्रमाण पत्र कर जारी कराया गया। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे मामले में स्थानीय स्तर पर ग्राम प्रधान और सचिव की भूमिका सदिग्ध मानी जा रही है। फर्जी दस्तावेजों के आधार पर विरासत दर्ज कराने की प्रक्रिया पूरी कर ली गई, जिससे राजस्व अभिलेखों में हेरफेर की आशंका जताई जा रही है। मामला सामने आने के बाद प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जिससे क्षेत्र में चर्चा का माहौल बना हुआ है।

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी पुलिस से पूछा: एफआईआर में केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे 'माननीय' या 'श्री' क्यों नहीं लिखा?

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से इस बात पर स्पष्टीकरण मांगा है कि पुलिस ने अपनी दर्ज की गई एक एफआईआर (प्रथम सूचना रिपोर्ट) में एक केंद्रीय मंत्री के नाम के आगे 'माननीय' या 'श्री' क्यों नहीं लिखा [हर्षित शर्मा और 2 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और 2 अन्य]। जस्टिस जे.जे. मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की खंडपीठ ने राज्य के गृह सचिव से इस मामले में सम्मानजनक उपाधि (honorific) के न लिखे जाने का कारण बताने को कहा। कोर्ट ने कहा कि पुलिस को यह उपाधि जोड़नी चाहिए थी, भले ही शिकायतकर्ता ने इसका जिक्र न किया हो।


कोर्ट ने कहा, 'उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ के अपर मुख्य सचिव (गृह) अपने हलफनामे में यह स्पष्ट करें कि FIR में जिस माननीय केंद्रीय मंत्री का नाम आया है, उनके नाम के आगे सामान्य सम्मानजनक उपाधि 'माननीय' क्यों नहीं लिखी गई, और एक जगह तो उनका जिक्र सिर्फ उनके नाम से किया गया है, बिना 'श्री' लगाए। भले ही लिखित रिपोर्ट में शिकायतकर्ता ने माननीय मंत्री का जिक्र



सही तरीके से न किया हो, लेकिन 'चेक FIR' लिखते समय पुलिस का यह फर्ज था कि वह प्रोटोकॉल का पालन करते हुए उपाधि (honorific) के न लिखे जाने का कारण बताने को कहा। कोर्ट ने कहा कि कोर्ट उस याचिका पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई थी; इस एफआईआर में आपराधिक घमकी और आपराधिक विश्वासघात के आरोप लगाए गए थे। आरोप है कि आरोपियों ने शिकायतकर्ता से नौकरी दिलाने के बहाने 80 लाख रुपये लिए थे। पुलिस शिकायत के अनुसार, बाद में उन्होंने वह रकम वापस नहीं की और उसे जान से मारने की धमकी भी दी। इस मामले में केंद्रीय मंत्री आरोपी नहीं हैं, लेकिन सड़क में उनका नाम आया है। कोर्ट इस एफआईआर को रद्द करने वाली

याचिका पर 6 अप्रैल को सुनवाई करेगा। 30 मार्च को, कोर्ट ने सरकारी वकील से आरोपियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में कुछ निर्देश लेने को कहा था। दिलचस्प बात यह है कि एक अन्य मामले में, हाई कोर्ट ने हाल ही में यूपी पुलिस से यह सवाल किया था कि उसने टयल कोर्ट को 'निचली अदालत' (the court below) क्यों कहा। कोर्ट के आदेश के जवाब में दायर एक हलफनामे में, कुशीनगर के पुलिस अधीक्षक ने निम्नलिखित बातें लिखी थीं: 'जिस पर निचली अदालत ने 03.01.2026 को अपराध का संज्ञान लिया।' न्यायमूर्ति हरवीर सिंह ने अब पुलिस अधिकारी को इन शब्दों के चयन के बारे में स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। इस मामले पर 10 अप्रैल को विचार किया जाएगा।

जम्मू-कश्मीर से दिल्ली तक भूकंप के झटके, सहम उठे लोग



दिल्ली-एनसीआर, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए. जम्मू-कश्मीर में लगातार दो झटकों से लोग सहम उठे। दिल्ली-एनसीआर, जम्मू-कश्मीर और चंडीगढ़ में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं. भूकंप ने जम्मू-कश्मीर के कई हिस्सों को हिला दिया। एक के बाद एक दो झटकों से जम्मू-कश्मीर के लोग सहम उठे। कुछ करते हुए कहा कि यह राज्य को उड़ानों के लिए एक आकर्षक गंतव्य बन रहा है। उन्होंने लिखा... अदाणी समूह प्रदेश को ऊर्जा, रक्षा, हवाई अड्डों, लाजिस्टिक्स, औद्योगिक पार्क और डायट सेंटर जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश के माध्यम से उत्तर प्रदेश के परिवर्तन में योगदान देने पर गर्व है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि अडाणी समूह इस परिवर्तनकारी यात्रा में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। उन्होंने यह भी लिखा कि कुछ दूर-दृष्टि राष्ट्रों का स्वरूप बदल देती है।

भूपेंद्र हुड्डा को बड़ी राहत, एजेएल प्लॉट आवंटन मामले में तलीन टिंट

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

पंचकूला के एजेएल (एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड) प्लॉट आवंटन केस में हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बड़ी राहत मिली है. सीबीआई की विशेष अदालत ने हुड्डा के खिलाफ सभी आरोप खारिज कर दिए हैं. इसके साथ ही वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोतीलाल बोरा को भी इस मामले में आरोपमुक्त किया गया है. इससे पहले पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट ने पर्याप्त सबूत न मिलने पर आरोप तय करने के आदेश रद्द किए थे, जिसके बाद सीबीआई कोर्ट ने अब ये फैसला सुनाया है ये मामला कोर्ट के सेक्टर-6 में करीब 3,360 वर्ग मीटर सरकारी भूखंड के आवंटन से जुड़ा था. इस केस में जांच एजेंसी का आरोप था कि ये प्लॉट कथित तौर पर बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड (एजेएल) को दिया गया. इससे सरकारी रेवेन्यू को नुकसान हुआ था. सीबीआई ने इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के कुछ वरिष्ठ अधिकारियों को भी आरोप बनाया था।

हाईकोर्ट ने क्या कहा?
हालांकि, आरोप तय किए जाने के आदेश को चुनौती देते हुए भूपेंद्र सिंह हुड्डा और एजेएल की ओर से पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई थी. हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई के दौरान



पाया कि प्रथम दृष्टया आरोपों को समर्थन देने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य मौजूद नहीं हैं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना मजबूत आधार के आपराधिक मुकदमा जारी रखना न्यायिक प्रक्रिया के सिद्धांतों के खिलाफ है इसी आधार पर आरोप तय करने के आदेशों को रद्द कर दिया गया. इसके बाद अब पंचकूला की विशेष सीबीआई कोर्ट से भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आज ये राहत मिली है. कोर्ट से राहत मिलने के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इस पर प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे न्यायापालिका पर भरोसा है।

क्या है पूरा मामला?
पंचकूला के सेक्टर-6 में 3,360 वर्ग मीटर के सरकारी भूखंड आवंटित करने के मामले में सीबीआई ने हुड्डा समेत एचएसवीपी के चार अधिकारियों को भी आरोप बनाया था. हुड्डा पर आरोप था कि उन्होंने 64.93 करोड़ रुपये का प्लॉट एजेएल को 69 लाख 39 हजार रुपये में दिया. सीबीआई ने 27 जनवरी 2017 को केस दर्ज किया था. फिर 1 दिसंबर 2018 को चार्जशीट दायर की थी।

दिल्ली हाई कोर्ट ने भारतीय सेना में भ्रष्टाचार के आरोपों पर याचिका

● सीबीआई, सीएजी और केंद्र सरकार को नोटिस।

स्वतंत्र प्रभात संवाददाता

ब्यूरो प्रयागराज। दिल्ली हाई कोर्ट ने हाल ही में सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई), केंद्र सरकार और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) को एक नोटिस जारी किया है। यह नोटिस एक सेना अधिकारी द्वारा दायर याचिका पर दिया गया है, जिसमें भारतीय सेना में भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच की मांग की गई है। जस्टिस प्रतीक जालान ने अधिकारियों को चार हफ्तों के भीतर अपना जवाब दाखिल करने को कहा और मामले की अगली सुनवाई 19 मई को तय की। कोर्ट लेफ्टिनेंट कर्नल सुमित श्योरंग की याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें उन्होंने भारतीय सेना के अधिकारियों के खिलाफ लगाए गए आरोपों की जांच की निगरानी में CBI जांच की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि नई दिल्ली में तैनाती के दौरान, उन्होंने 'एनुअल कंट्रिजेट ग्रांट' (ACG) के तहत होने वाली खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश किया था। याचिका के अनुसार,



खरीद प्रक्रियाओं में हेरफेर, झूठे रिकार्ड बनाने और सरकारी संपत्ति का गलत इस्तेमाल करके सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया गया। सार्वजनिक पैसे से खरीदी गई वस्तुओं को कथित तौर पर अधिकारियों के 'मेस' (भोजनालय) की संपत्ति के रूप में दिखाया गया, जबकि जांच से बचने के लिए खरीद की सीमाओं को जानबूझकर कई हिस्सों में बांट दिया गया। याचिका में कहा गया, 'अपने कर्तव्य का पालन करते हुए, याचिकाकर्ता ने निगरानी में CBI जांच की मांग की थी। उन्होंने दलील दी कि नई दिल्ली में तैनाती के दौरान, उन्होंने 'एनुअल कंट्रिजेट ग्रांट' (ACG) के तहत होने वाली खरीद में बड़े पैमाने पर वित्तीय अनियमितताओं का पर्दाफाश किया था। याचिका के अनुसार,

कार्रवाई नहीं की गई, जिससे अपराध जारी रहे और सबूतों को नष्ट करने का मौका मिल गया। इसके अलावा, उन्होंने दावा किया कि उनके कंप्यूटर सिस्टम को बिना किसी अनुमति के एक्सेस किया गया था, जिससे यह संकेत मिलता है कि यह एक सुनियोजित साइबर सुरणपैठ थी। श्योरंग ने बताया कि उन्होंने जनवरी 2025 में सीबीआई को एक विस्तृत शिकायत भेजी थी, लेकिन कोई सड़क दर्ज नहीं की गई। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि शिकायतें दर्ज कराने के बाद उन्हें बदले की भावना से की गई कार्रवाई का सामना करना पड़ा। इसमें उनकी 'परफॉर्मंस रिपोर्ट' में नकारात्मक टिप्पणियां दर्ज करना और उनका नामपूर तबादला कर देना शामिल है।

